

27

bu-382 - 1230 & Mr
bu.383 - 1160 & Mr

1763

(K2 International)

4

21.2.14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54



विक्रय पत्र का संक्षिप्त विवरण



- | | |
|-------------------|--|
| 1. भूमि का प्रकार | : प्लाट। |
| 2. वार्ड परगना | : मेरठ |
| 3. मौहल्ला/ग्राम | : ग्राम कमालपुर परगना व त
व जिला मेरठ |

30/01/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 549

2

4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) : खसरा नं० 382 व 383
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) : वर्ग मीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 2340 वर्ग मीटर
7. सम्पत्ति का प्रकार प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान कृषि : प्लाट

Zamam nahi

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

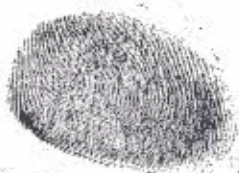
D 549'

3

8. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल(बहुमंजिला भवन की स्थिति में) : नहीं
9. प्रतिफल की धनराशि : अंकन 1,05,00,000/-रुपये
10. बाजारी मूल्य : अंकन 75,00,000/-रुपये।
11. स्टाम्प शुल्क : अंकन 7,25,000/- रुपये।

Zararati muni

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

7

5. विक्रीत भूमि का सर्किल रेट माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अर्द्धनगरी क्षेत्र की सूची में क्रमांक 8 व. वी-कोड 1075 के अनुसार अंकन 3,200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है जिस पर विधिवत स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है
6. विक्रीत भूमि का बाजारी मूल्य जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सूची में : अनुसार अंकन 75,00,000/- रुपये होता है किन्तु उक्त भूमि अंकन 1,05,00,000/- रुपये में विक्रय की गयी है जिस पर विधिवत स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 549

8

7. विक्रीत भूमि मैन रोड से लगभग 500 मीटर अन्दर स्थित है।
8. विक्रय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुप
सत्यता पूर्वक किया गया है

2001/15 माला



[Signature]





D 5499

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

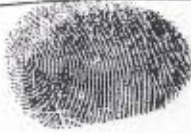
9

9. इस विक्रय पत्र में अधिसूचना आदेश संख्या स0 व0 क0 नि0-2756 / 11-2008-500 (165) / 2007 लखनऊ दि0 30-06-08 के महिला क्रेत्री होने नियम अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

अनुमति मनी



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 549

11

बहैसियत मुख्तार आम ओर से श्री नूर मौहम्मद पुत्र मौ० उमर निवासी
कमालपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ जिसकी रजिस्ट्री दि
02.05.2013ई० को बही नं० 4 जिल्द सं० 439 के पृष्ठ सं० 219/228 पर क्र
231 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम मेरठ पंजीकृत हुई जो आज तक काय
बरकरार है जो कौन्सिल व मन्सूख नही की गयी है.....प्रथम पक्ष-विक्रेता

व

उमर नूर

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54

12

श्री तेजेन्द्र सिंह खुराना पुत्र श्री गुरबक्श सिंह खुराना निवासी बी-57 त
कॉलोनी गढ़ रोड मेरठ बहैसियत मुख्तारेआम ओ
जसदीप लाम्बा पुत्री श्री जसेन्द्र पाल सिंह बेदी निवासी एन-7 ग्रीन पार्क एक
न्यू दिल्ली-110016 मुख्तारनामा दिनांक 28.07.2007 समक्ष सुपरीटेडेट

30/07/2007





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54

13

स्टाम्प, स्टैट ऑफ टेकसिस, कन्ट्री ऑफ हैरेस, जो दिनांक 01.09.200 सुपरीटेडेड ऑफ स्टाम्प मेरठ, यू0पी0 द्वारा स्टाम्पीत करा लिया गया है तथा मुख्तारनामा आज तक कायम व बरकरार है कैंन्सिल अथवा रिवोक नहीं वि है.....द्वितीय पक्ष (द

उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

14

जो कि भूमि खसरा नं० 382 रकबई 1230 वर्ग मीटर व खसरा नं० 38 रकबई 1110 वर्ग मीटर कुल खसरा नं० 2 कुल रकबई 2340 वर्ग मीटर स्थित ग्रा कमालपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व उनके व्यावहारीगण वास्तविक स्वामी व पूर्णतः विक्रयाधिकारी है। प्रथम पक्ष व उनके व्यावहारीगण क

अनामिका





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54992.

16

ही उक्त सम्पत्ति पर कोई वाद किसी न्यायलय में विचारधीन है। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त प्लॉट को अपने समस्त अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुये किसी भी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया हो अथवा न किया गया हो अपनी स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों कि दशा

उत्तराखण्ड नली



[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

17

में अंकन 1,05,00,000 / - (एक करोड़ पांच लाख) रुपये कि जिसके आधे अंक 52,50,000 / - (बावन लाख पचास हजार) रुपये होते हैं विक्रय मूल्य के बदले हस्ते श्री तेजेन्द्र सिंह खुराना पुत्र श्री गुरबक्श सिंह खुराना निवासी बी-5

हमारे माली



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54992

18

तक्षशिला कॉलोनी गढ़ रोड मेरठ बहैसियत मुख्तार आम ओर से जसदीप
लाम्बा पुत्री श्री जसेन्द्र पाल सिंह बेदी निवासी एन-7 ग्रीन पार्क एक्सट्रेंशन
न्यू दिल्ली-110016 जिसे ऊपर द्वितीय पक्ष क्रेत्री भी कहा गया है, को विक्रय

जसदीप लाम्बा



जसदीप लाम्बा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

19

कतई कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष विक्रतागण
द्वितीय पक्ष क्रेत्री से निम्न प्रकार प्राप्त करके विक्रीत प्लॉट को अपने अधि
स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर कतई खाली द्वितीय पक्ष ब्र

सत्यमेव जयते



Handwritten signature or mark.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54992

20

के अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी ए
वास्तविक अधिकारी बना दिया है अब विक्रीत प्लॉट का कोई सम्बन्ध किसी प्रका
का प्रथम पक्ष विक्रेतागण का शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा। वास्तविक

उमरान मली

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54991

21

परिवर्तन कार्यान्वित हुआ यह विक्रय पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है तथा प्रयोग होने योग्य है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेत्री को अधिकार प्राप्त होगा कि वह उक्त भूमि पर अपना निर्माण कार्य कराये, नक्शा सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत कराये अपना

उत्तर प्रदेश



21





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

22

नाम सरकारी अभिलेखों में अंकित कराये यदि इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष विक्रेतागण को सहमति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष विक्रेतागण उसको पूरा करने के पाबन्द रहेंगे जिसमें उन्हें कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। द्वितीय

Signature



Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 549917

23

पक्ष क्रेत्री को अधिकार प्राप्त होगा कि विक्रीत प्लॉट को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करें, यदि आज की तिथि से पहले उपरोक्त प्लॉट से सम्बन्धित कोई कर या ड्यूज़ बकाया होगा तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेतागण की रहेगी

अ. नारायण शर्मा

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

24

तथा आज की तिथि के पश्चात उपरोक्त प्लॉट से सम्बन्धित समस्त करों को चुक
करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष क्रेत्री की रहेगी। प्रथम पक्ष विक्रेतागण अपना कु
हक व हिस्सा रकबई 2340 वर्ग मीटर विक्रय कर रहे हैं तथा उनकी कोई भूमि उव

उत्तर प्रदेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 549

25

खसरा नं० 382 व 383 में शेष नहीं रही है। यदि किसी वादी के वादवश अथ
किसी वैधानिक दोषवश विक्रीत सम्पत्ति सम्पूर्ण अथवा उसका अंश द्वितीय पक्ष को
के अधिकार से निकल जाये अथवा विक्रीत सम्पत्ति पर कोई ऋण या भार प

3 March 2014

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

26

जावे जो द्वितीय पक्ष क्रेत्री को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये अदा या सप करना पड़ जाये तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष क्रेत्री को अधिक होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य व स्टाम्प शुल्क अथवा उसका अंश म

अमरक नमो



[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

27

वाद व्यय प्रथम पक्ष विक्रेतागण तथा उसके उत्तराधिकारीगण से उस समय त
प्रचलित बजारी मूल्य के अनुसार प्राप्त कर लें। जिसमें प्रथम पक्ष विक्रेतागण त
उनके उत्तराधिकारीगण को कोई उज्र व ऐतराज किसी भी किस्म का नहीं होग

अमर नारायण



अमर नारायण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 5499

28

प्रथम पक्ष ने अपना समस्त तयशुदा मूल्य द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है और अ
टी0डी0एस0 जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की रहेंगी। अतः य
विक्रय पत्र तहरीर कर दिया कि सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे। इति।

प्रमाणित करने

[Signature]





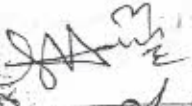
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 54991

29

विवरण प्राप्त धनराशि

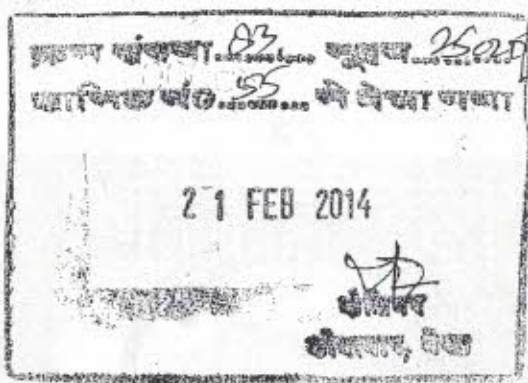
1. अंकन 1,05,00,000 / - (एक करोड़ पांच लाख) रुपये दिनांक 06.02.2014 ड्राफ्ट सं० 184448 Standard chartered Bank द्वारा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये।
इस प्रकार कुल प्राप्त धनराशि अंकन 1,05,00,000 / - (एक करोड़ पांच लाख) रुपये होते हैं।

४१  
उत्तर प्रदेश सरकार / श्रीवास्तव
कानून - सिलेक्ट (पेरु)

४१  
अभिनेता १०२
वाराणसी - जालपुर - २०००
तहसील

विक्रय पत्र लिखित दिनांक :- 21.02.2014 ई० मसविदा श्री विशाल वर्मा पिडी कोट भैरव।





आज दिनांक 21/02/2014 को
बही सं. 1 जिल्द सं. 9895
पृष्ठ सं. 379 से 436 पर कमांक 1763
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


उप निबन्धक प्रथम,
मेरठ (प्रथम)।
21/2/2014

